an>

Title: Regarding alleged lathi charge on the villagers of Sarraiyan and Pateria Panchayat and suspension of Police Chowki in charge and setting up a judicial inquiry on the lathi charge.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में दिनांक 8/12/2015 को मानिकपुर थाना के अंतर्गत सरैयां ग्राम में पुलिस द्वारा निर्दोष ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया तथा 15 लोगों को अलग-अलग घरों से, घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों से अभद्रता कर गंभीर दफाएं लगाकर बन्द कर दिया गया। दर्जनों लोगों को फर्जी गंभीर दफाओं में अभी भी नामजद किया गया है और सैकड़ों लोगों को अज्ञात के रूप में नामजद कर दिया है। उनका कसूर केवल यह था कि वहां के जो चौकी इंचार्ज थे - प्रभु दयाल यादव, उनकी गलत हरकतों और जिस प्रकार से वह पंचायत चुनावों में एक पार्टी का पक्ष ले रहे थे, उसका उन लोगों ने विरोध करने का काम किया था, इसलिए चौकी इंचार्ज ने स्वयं पार्टी बनकर उन लोगों की आवाज बन्द करने हेतु यह हरकत की है।

इसी प्रकार से 9/12/2015 को उसी सरैयां चौकी के अंतर्गत ग्राम पतेरिया में पुलिस ने पंचायत चुनाव के दिन लोगों पर बर्बर लाठीचार्ज किया है। अधिकारी दोषी लोगों का बचाव कर रहे हैं। अस्तु, आपसे निवेदन है कि दोषी चौकी इंचार्ज को निलम्बित कर सरैयां तथा पतेरिया ग्राम की घटना की न्यायिक जांच हेतु निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही, निर्दोष ग्रामीणों पर लगाई गयी गंभीर दफाओं को निरस्त कराकर रिहा कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhairon Prasad Mishra.